स्वामी विवेकानन्द शिक्षा समिति,कोटा अन्तर्गत मुन्नी बाई आदर्श विद्या मन्दिर,चोमहेला,तह0 गंगधार जिला झालावाड़ जरिये मंत्री रमेशचन्द आर्दश शिक्षा समिति,चोमहेला, जिला झालावाड़ .....प्रार्थी

बनाम

1.राज0 सरकार जरिये उप पंजीयक,गंगधार जिला झालावाड़
2.नरेन्द्र कुमार पुत्र देवी प्रसाद
3.लक्ष्मीकान्त पुत्र देवी प्रसाद
4.गोपाल प्रसाद पुत्र देवी प्रसाद
5.राधेश्याम पुत्र देवी प्रसाद
6.पवन कुमार पुत्र देवी प्रसाद,समस्त निवासीगण–कोलवी, तहसील–गंगधार, जिला–झालावाड़ .....अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री ईश्वरी लाल वर्मा–सदस्य

उपस्थित : :

श्री मनीष कुमार एवं श्री शशिर विजयवर्गीय अभिभाषकगण .....प्रार्थी की ओर से.
श्री आर.के.अजमेरा, उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी सं0–1 की ओर से.
अनुपस्थित 2 लगायत 6 तक .....अ.सं. 2–6 की ओर से अनु0

निर्णय दिनांक : 24/09/2015

निर्णय

निगरानीकर्ता(प्रार्थी)द्वारा यह निगरानी राजस्थान मुद्रांक अधिनियम(जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 65 के अन्तर्गत उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलक्टर(मुद्रांक)वृत कोटा (जिसे आगे **"कलक्टर(मुद्रांक)"** कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या 502/06 आदेश दिनांक 12.03.2012 व 30.09.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या दो लगायत छः ने अपने स्वामित्व की ग्राम कोलवी के खाता सं. 74 के खाता नं0 202 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी दोय लगानी 3.98 आराजी में से हिस्सा 9/10 भाग की आराजी को रू0 40,000/– में प्रार्थी को दिनांक 13.03.2002 को विक्रय कर, विक्रय विलेख उप पंजीयक, गंगधार के दस्तावेज पंजीयन हेतु पेश किया। उप पंजीयक ने नियमानुसार देय मुद्रांक की शेष राशि तथा पंजीयन शुल्क अदा कर, उक्त दस्तावेज को पंजीबद्ध कर, पक्षकारों को लौटा दिया। तत्पश्चात आक्षेप जांच के आधार पर दिनांक 20.0602006 को उप पजींयक, गंगधार ने विक्रय सम्पति की मालियत रू0 36,59,040/–मानते हुए, पक्षकारों को कमी मुद्रांक एवं कमी पंजीयन शुल्क जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया। संबंधित पक्षकार द्वारा कमी राशि जमा नहीं कराने पर, मुद्रांक अधिनियम की धारा 47ए(2ए) के अन्तर्गत रेफरेंस कलक्टर(मुद्रांक) कोटा को रेफरेंस पेश किया गया। कलक्टर(मुद्रांक) ने अपने

लगातार.....2

निर्णय दिनांक 30.09.2009 द्वारा उक्त सम्पति की मालियत रेफरेंसानुसार मानते हुए, कमी मुद्रांक रू0 3,92,578/–, कमी पंजीयन शुल्क रू0 24,090/– तथा शास्ति रू0 332/– कुल रू0 4,17,000/– की वसूली का आदेश पारित किया एवं आदेश दिनांक 12.03.2012 द्वारा प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया। कलक्टर(मुद्रांक) के उक्त आदेशों के विरूद्ध निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी पेश की गई है।

बहस के दौरान निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी निगरानी मे अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि पत्रावली में सुनवाई हेतु जो पेशियां नियत की गई, उन पेशियों पर पत्रावली न्यायालय में नहीं आयी बल्कि भिन्न–भिन्न पेशियों पर निगरानीकर्ता की गैर मौजूदगी में पत्रावली पेशी में लेकर तारीख नियत की गई तथा निगरानीकर्ता की अनुपस्थिति में एकपक्षीय आदेश पारित किया गया। जिस प्रार्थना पत्र को चुनौति दी गई, उस प्रार्थना पत्र को भी खारिज कर दिया गया। निगरानीकर्ता को सुनवाई का अवसर दिये बिना कलक्टर(मुद्रांक) कोटा ने दिनांक 30.09.2009 को एकपक्षीय आदेश पारित किया तथा जिस आदेश को चुनौति देने वाला प्रार्थना पत्र दिनांक 12.3.2012 को बिना किसी समुचित आधार के खारिज कर दिया गया। अतः निगरानी स्वीकार की जावे। निगरानीकर्ता ने अपने तर्को के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये :–

1- Canara Bank & Ors. v/s Debasis Das & Ors. RLW 2003(4) SC 509

2- Jaipur Udyog Ltd. & Anr. v/s Appellate Authority for Industrial & Financial Reconstruction New Delhi & Ors. RLW 2005(1)Raj. 131

3- Saroj Devi v/s State of Raj. RRD 1994 Page 215

4- M.S.Oberoi v/s Union of India AIR 1970 Punjab & Haryana 407

5- Unni Krishna v/s State of Andhra Pradesh AIR 1993 SC 2178(F)

6-The Secretary & Curator, Victoria Memorial Hall v/s Howrah Ganatantrik Nagrik Smity & Ors. WLC 2010(1)SC (Civil)507

7-Banna Ram v/s Mandu RRT 2011 (2) RB 767

8- State of Uttar Pardesh v/s Ambrish Tandon RRT 2012(1) SC 532

9-State of Rajasthan v/s Indian Oil Corporation Ltd. RRT 2011 (1) TB 572

10- Devaram v/s State of Raj. RRT 2003 (2) RB 1386

11-State of Raj. v/s Psrem Kanwar RRT 2014 (2) TB 932

इसके विरोध में अप्रार्थी राजस्व के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने निगरानी को खारिज किये जाने का निवेदन किया और निगरानी को सारहीन होना बताया।

लगातार.....3

मैंने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया। कलक्टर(मुद्रांक) की पत्रावली में दिनांक 4.4.2007 की आदेशिका में पेशी दिनांक 10.5.2007 को नियत की गई लेकिन दिनांक 10.5.2007 को पत्रावली पेशी में नहीं आयी बल्कि दिनांक 15.6.2007 को पेशी में आयी। जिस आदेशिका में दिनांक 11.7.2007 नियत की गई लेकिन दिनांक 11.7.2007 की आदेशिका में नहीं आयी बल्कि दिनांक 8.8.2007 की पेशी में पत्रावली आयी, उस दिन पेशी में पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 12.9.2007 नियत की गई। फिर दिनांक 12.9.2007 को पत्रावली पेशी हेतु दिनांक 10.10.2007 के लिए रखी गई तथा दिनांक 10.10.2007 को दिनांक 14.11.2007 के लिए रखी गई। दिनांक 14.11.2007 को पत्रावली पेशी में नहीं आयी बल्कि दिनांक 17.11.2007 की पेशी में आयी जिसमें आगामी दिनांक 12.12.2007 नियत की गई लेकिन दिनांक 12.12.2007 को पत्रावली पुनः पेशी में नहीं आयी बल्कि दिनांक 13.2.2008 को पेशी में आयी जिसमें आगामी पेशी दिनांक 5.3.2008 रखी गई लेकिन दिनांक 5.3.2008 को पत्रावली पेशी में नहीं आयी बल्कि दिनांक 27.3.2009 को पेशी में आयी। दिनांक 27.3.2009 की आदेशिका में क्रेता/विक्रेता को तलबी का आदेश दिया लेकिन ऐसी कोई तलबी जारी की गई हो, यह पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात नहीं होता हैं। इस प्रकार दिनांक 30.3.2009 को निगरानीकर्ता को बिना सुने कलक्टर(मुद्रांक)कोटा द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित किया गया। जिस आदेश को निरस्त करने एवं सुनवाई का अवसर दिये जाने बाबत, निगरानीकर्ता ने जो प्रार्थना पत्र पेश किया वह प्रार्थना पत्र दिनांक 12.3.2012 के आदेश द्वारा बिना किसी समुचित कारण के खारिज कर दिया गया। इस प्रकार कलक्टर(मुद्रांक) कोटा ने निगरानीकर्ता को सुनवाई का अवसर दिये बिना, मन–माना आदेश पारित किया है। प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धान्त है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये। लेकिन इस प्रकरण में निगराकर्ता को नोटिस की तामिल करवाये बिना, उसको सुनवाई का अवसर दिये बिना, एकतरफा आदेश कलक्टर(मुद्रांक) कोटा ने दिनांक 30.9.2009 को पारित किया गया जो आदेश कायम रखे जाने योग्य नहीं है।

अतः ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर, कलक्टर(मुद्रांक) कोटा के आदेश दिनांक 30.9.2009 व 12.3.2012 को अपास्त किया जाकर, प्रकरण को कलक्टर(मुद्रांक) को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, पुनः विधिनुसार निर्णय पारित करे।

निर्णय सुनाया गया।

24-9-2015

(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य